मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

!! आदेश !!

भोपाल, दिनांक 29.04.2014

फा.कमांक 3(ए)19/2003/21-ब(एक), राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15.06.2006 की कण्डिका 14 की उपकण्डिका (4) को विलोपित कर उसके स्थान पर निम्न कण्डिका प्रतिस्थापित करता है, जो दिनांक 01.04.2014 से प्रभावशील होगी :-

संशोधन

कण्डिका 14(4) :-

"1. राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को सेवा के प्रारम्भ से प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर उनके आवासीय कार्यालय में फर्नीचर सोफा सेट, कारपेट, कुर्सीयां, टेबल, साईड टेबल, क्रॉकरी और उपयोगी सामग्री एयरकंडीशनर, कूलर, इनवर्टर, पुस्तक रखने के लिये अलमारी आदि उपलब्ध कराये जाने के लिये राशि रूपयें 90,000/- उपलब्ध करायी जायेगी।

2. उपरोक्त फर्नीचर आदि न्यायिक अधिकारी द्वारा स्वयं क्रय किया जाकर रसीद सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला न्यायाधीश/विभाग प्रमुख को दिया जायेगा जो कि, संबंधित न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख में रखा जायेगा। स्थानांतरण होने पर न्यायिक अधिकारी उपरोक्त फर्नीचर आदि अपने साथ लेकर जायेंगे।

3. न्यायिक अधिकारी के प्रतिनियुक्ति पर होने पर भी उपरोक्तानुसार फर्नीचर आदि क्रय किये जाने के लिये राज्य शासन द्वारा राशि उपलब्ध करायी जायेगी और यदि पति और पत्नि दोनों न्यायिक अधिकारी एक ही स्थान पर पदस्थ है, तो किसी एक को उपरोक्तानुसार फर्नीचर आदि प्राप्त करने की पात्रता होगी।

4. न्यायिक अधिकारी के सेवानिवृत्त होने अथवा त्यागपत्र देने की स्थिति में उसे प्रदान किया गया उपरोक्त फर्नीचर आदि पांच वर्ष में से शेष रही अवधि का आनुपातिक मूल्य (प्रतिवर्ष मूल्य के 20 प्रतिशत की दर से) नियमानुसार जमा करने पर उसे स्थायी रूप से दिया जायेगा। उदाहरण स्वरूप यदि किसी न्यायिक अधिकारी की सेवानिवृत्ती के समय उपरोक्त 5 वर्ष की अवधि में से 3 वर्ष की अवधि शेष है, तो उसके द्वारा रूपये 90,000/- की राशि का 20 प्रतिशत अर्थात रूपये 18,000/- प्रतिवर्ष की दर से (कुल रूपये 54,000/-) जमा किए जाने पर फर्नीचर आदि उस सेवानिवृत्त अधिकारी को दे दिया जाएगा। यदि सेवानिवृत्ती में 6 माह अथवा उससे अधिक माह की अवधि शेष है, तो उस अवधि को गणना के प्रयोजन हेतु 1 वर्ष माना जाएगा। यह नियम न्यायिक अधिकारी को पूर्व में प्रदान किए गए फर्नीचर आदि के प्रकरणों में भी लागू होगा।

5. पांच वर्ष के पूर्व न्यायिक अधिकारी की मृत्यु होने पर कोई भी राशि मृतक न्यायिक अधिकारी के परिवार से वसूली नहीं जावेगी।

6. प्रत्येक पांच वर्ष के बाद न्यायिक अधिकारी को प्रदान किया गया उक्त फर्नीचर आदि अनुपयोगी होने के कारण यदि संबंधित न्यायिक अधिकारी स्वेच्छापूर्वक उपरोक्त फर्नीचर आदि लेना चाहे, तो फर्नीचर आदि के क्रय मूल्य की बीस प्रतिशत राशि जमा कराई जाकर फर्नीचर आदि स्थायी रूप से न्यायिक अधिकारी को दिया जा सकेगा अन्यथा फर्नीचर आदि शासन द्वारा विधिवत् नीलाम किया जाकर राशि कोषालय में जमा की जावेगी। उक्त नियम पूर्व में न्यायिक अधिकारीगण को प्रदान किए गए फर्नीचर के मामलों में भी लागू होगा।

यह आदेश वित्त विभाग की स्वीकृति यू.ओ. क्र./308/276/ब-8/चार/14 दिनांक 07.03.2014 के अनुक्रम में जारी किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

26-4-14

(चन्द्रहास व्ही. सिरपुरकर)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 3(ए)19/2003/21-ब(एक), भोपाल दिनांक 26.04.2014

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल,
2. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर,
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल,
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल,
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल,
10. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल,
11. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल,

2014

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

// MEMO //

No. A\ 3523 / **Jabalpur dated the 19/ September 2014.**
IV-4-8/2014

To,

The District and Sessions Judge,

Damoh

Sub:- **Submission of information in the matter of purchase of bungalow office furniture purchased by judicial officer.**

****

As you are aware that the State Government by order dated 26.04.2014 has granted permission for purchase of bungalow - office furniture and has also permitted the Judicial officers to retain the same on completion of 5 years on payment of 20% of the purchase cost.

As directed this is to request you that whenever proposals are sent to this Registry for retention of the bungalow office furnishing articles (Sofa-set center table, side table, etc.) the following information may be submitted:-

1. The order of purchase and the copy of the receipt,
2. The entries in the stock register (photo copy to be enclosed)
3. The depreciation should be shown in a tabular form year-wise,

(A. M. YEOLEKAR)
Officer On Special Duty

Endt. No. A\ 3524 / Jabalpur dated the 19/ September 2014.
IV-4-8/2014

Copy forwarded to :-

1- The Principal Registrar, High Court of M.P. Bench Indore,
2- The Principal Registrar High Court of M.P. Bench Gwalior,
3- The Principal Registrar (Vig) / I,L,R. and Exam / Judl.) High Court of M.P. Jabalpur.
4- The Special Judge ....
5- The Principal Judge Family Court ....
6- The Registrar (Vig / Admn. /Judl. -I / Judl.-II / D.E. / E / O.S.D. High Court of M.P. Jabalpur,
7- Asstt. (Work) High Court of M.P. Jabalpur, for information and necessary action..

(A. M. YEOLEKAR)
Officer On Special Duty